

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव का औचित्य एवं आवश्यकता:-

प्रयोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग समेकित लम्बाई 17.00 किमी०

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शा०सं० 299/लो०नि०-2/04-16 दिनांक 28.3.2004 से 10 किमी० लम्बाई हेतु रू० 144.00 लाख की प्राप्ति है तथा चण्डाक बांस आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शा०सं० 572 (i)/111-2/5 दिनांक 28.3.2006 7.00 किमी० लम्बाई हेतु रू० 308.80 लाख की प्राप्ति है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 10+7=17 किमी० लम्बाई का समेकित प्रस्ताव गठित कर आनलाईन किया जा रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में निम्न प्रकार की भूमि प्रभावित हो रही है।

1- आरक्षित वनभूमि-	4.917 हे०
2- वन पंचायती भूमि-	0.895 हे०
3- राज्य वनभूमि-	2.245 हे०
कुल वन भूमि-	8.057 हे०
4- नापभूमि-	3.843 हे०
कुल भूमि	11.900 हे०

प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7 मीटर चौड़ाई में 8.057 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण किया जाना है। प्रस्तावित मार्ग अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ रहा है। जिससे लगभग 2000 की आवादी लाभान्वित हो रही है। मोटर मार्ग से स्थानीय जनता को तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

अतः अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग की लम्बाई 17.00 किमी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित 8.057 हे० वनभूमि के प्रस्ताव गठित कर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।


 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, बेरीनाग